

प्रेषक,

आर०के० द्विवेदी,
अनु सचिव,
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ,
उ०प्र०, लखनऊ।**कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4****लखनऊ:दिनांक-21 नवम्बर, 2013**

विषय:- जिला कारागार, इटावा में 64 नग दिन शौचालय, बाथिंग प्लेटफार्म, सैप्टिक टैंक, सोकपिट, नाली एवं इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-30806/नम-2, दिनांक-21.10.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1251/22-4-13-48(23)/12, दिनांक-21.01.2013 द्वारा जिला कारागार इटावा में 64 नग दिन शौचालयों, 08 बाथिंग प्लेटफार्म, 08 सैप्टिक टैंक, 08 सोकपिट 800 मी० नाली, दिन शौचालय हेतु 05 नग वाटर टैंक एवं 05 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प के निर्माण हेतु ₹0-36,53,000/- (रूपया छत्तीस लाख तिरपन हजार मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रथम किशत के रूप में ₹0-18,26,000/- (रूपये अठ्ठारह लाख छब्बीस हजार मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। आपके उक्त पत्र दिनांक-21.10.2013 में किये गये प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुये श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2013-14 में उक्त निर्माण कार्य हेतु अवशेष द्वितीय किशत की धनराशि ₹0-18,17,000/- (रूपये अठ्ठारह लाख सत्रह हजार मात्र) की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का सदुपयोग दिनांक-31.3.2014 तक अवश्य कर लिया जाय।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालु वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-04-कारागारों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाले जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3- उक्त शासनादेश दिनांक-21.01.2013 की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं०-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक-28.3.2013 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

22-11-13
25-11-13

22-11-13
25-11-13

25-11-13

14/146
25-11-2013

ध्वनीय,
आर०के० द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या-1594(1)/22-4-2013-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ०प्र० इलाहाबाद।
- 3- प्रबन्धक निदेशक, समाज कल्याण निर्माण निगम लि० लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी, इटावा
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1/2
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

/

(आर०के० द्विवेदी)

अनु. सचिव।